



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241634
CG-DL-E-03012023-241634

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5933]
No. 5933]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6178(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 390 (अ) तारीख 28 जनवरी 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 361 के कि.मी. 465.500 से कि.मी.524.690 (वर्धा-बुटीबोरी सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16 फरवरी 2022" को "द हितवाद" और "तरुण भारत" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 361 के कि.मी. 465.500 से कि.मी. 524.690 (वर्धा-बुटीबोरी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: नागपुर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हिंगणा				
	गांव का नाम: आसोला				
1	गांवठाण	सरकारी	गैरकृषी	0.0032	लताबाई वसंत आवते (गांवठाण)
2	गांवठाण	सरकारी	गैरकृषी	0.0036	यादवराव दादाजी आडकीने (गांवठाण)
3	गांवठाण	सरकारी	गैरकृषी	0.0022	ग्रामपंचायत आसोला (विहीर) (गांवठाण)
			कुल	0.009	

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi the 29th December, 2022

S.O. 6178(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 390(E), dated 28th January 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 on the stretch of land from Km. 465.500 to Km. 524.690 (Wardha-Butibori Section) in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hitavada” and “Tarun Bharat” both dated 16th February 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 465.500 to Km.524.690 (Wardha-Butibori Section) of National Highway No. 361 in the district of NAGPUR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: NAGPUR		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hingna				
	Village: Asola				
1	Gaothan	Government	Non Agricultural	0.0032	Latabai Wasant Aawate Gaothan
2	Gaothan	Government	Non Agricultural	0.0036	Yadavrao Dadaji Aadkine Gaothan
3	Gaothan	Government	Non Agricultural	0.0022	Gram Panchayat Aasola (Well) Gaothan
			TOTAL	0.009	

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

RAJESH GUPTA, Director